

**प्रारूप-घ (संलग्नक-3)****औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र****यूआईडी संख्या : UPFS/2025/172171/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/35329/CFO****दिनांक : 15-09-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MS ARIHANT URBAN SPACE PVT LTD** पता **PLOT NO-GH-11,SECTOR 22D YEIDA,GREATER NOIDA** तहसील - **JEWAR** प्लाट एरिया **45732.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया - (वर्गमीटर), ब्लाकों की संख्या **6** जिसमे

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER A	31	2	112.80 mt.
TOWER B2	30	2	109.150 mt.
TOWER C1	30	2	100.15 mt.
TOWER C2	30	2	100.15 mt.
TOWER D3 AND D6	29	2	96.85 mt.
TOWER D4 AND D5	29	2	96.85 mt.

भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **MS ARIHANT URBAN SPACE PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** यह एनओसी उपरोक्त ब्लाकों के अतिरिक्त अपलोडिड प्रस्तावित मानचित्रों के अनुसार टावर-सी-3(बसेमेन्ट की संख्या-02 तलों की संख्या-30, ऊँचाई-100.15 मीटर), कम्प्यूनिटी ब्लॉक-2 (तलों की संख्या-01, ऊँचाई-9.30 मीटर),कम्प्यूनिटी ब्लॉक-2 (तलों की संख्या-01, ऊँचाई-4.80 मीटर) के लिए भी मान्य है। पम्प रूम के लिए पृथक से एक स्टेयर का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा। बेसमेन्ट मे पार्किंग हेतु रैम्प की चौड़ाई 06 मीटर अनिवार्य हैं। एनओसी ईज ऑफ ड्रइंग बिजनेस के तहत निर्गत की जा रही हैं।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**

**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**Pradeep Kumar**

4CBB1A74FF15FCECE730717855B25A8D9A117827

29-09-2025

**निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-09-2025****स्थान : GAUTAM BUDDH NAGAR**

*Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.*



**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की**  
**INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE**

**सिविल अभियांत्रिकी विभाग**  
**DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING**  
रुड़की - 247 667, उत्तराखण्ड, भारत  
ROORKEE-247 667, UTTARAKHAND, INDIA

Fax/फैक्स: 01332-275568, 273560

Tele/फोन : 01332-284319, 285219

E-mail/ई-मेल : civil@iitr.ac.in

No. CED/MAI/ODPL/AUSPL/01B

Date: 09.09.2025

**Arihant Urban Space Pvt. Ltd.**  
602, 6<sup>th</sup> Floor, Plot No. 17, Sachdeva Tower, Community Centre  
Karkardooma, Delhi-110092

**Subject:** Structural Vetting of Design and Drawings of Tower GH-11, Sector-22D, Yamuna Expressway (UP) for Submission Purpose

**Reference:** Structural Design and Drawings Submitted by Optimum Design Private Limited, Noida, UP

It is certified that the structural design and drawings of Structural Vetting of Design and Drawings of Tower GH-11, Sector-22D, Yamuna Expressway (UP) submitted to us through the structural consultant, M/s. Optimum Design Private Limited, Noida, UP have been vetted for their compliance for submission purpose.

The structural design and drawings have been checked and corrected for compliance with the provisions of relevant Indian Standards. The tentative structural drawings are duly stamped and approved only for submission purpose in the Authority.

It is clarified that the scope of vetting of the above mentioned Group Housing is limited to the desk-top study of structural design and drawings based on the data provided by the consultant. Further, the current tentative design is merely for submission purpose in the authority and it does not include execution structural drawings at the site.

The undersigned assumes no responsibility for the compliance with local, state or national building bye-laws or with any other legal requirements or of safety aspects during construction or after construction of the said building due to any reason.

  
**M. A. Iqbal**  
Professor

M. A. Iqbal  
Professor  
Department of Civil Engineering  
Indian Institute of Technology Roorkee  
Roorkee-247 667, Uttarakhand, INDIA

**Annexure-I**

**Structural Vetting of Design and Drawings of Tower GH-11, Sector-22D, Yamuna Expressway (UP) for Submission Purpose**

<b>AREAS CALCULATIONS</b>						
<b>S.NO</b>	<b>TOWERS</b>	<b>NO. OF FLOOR</b>	<b>F.A.R AREA</b>	<b>15% SERVICES AREA</b>	<b>NON F.A.R</b>	<b>BUILTUP AREA</b>
1	TOWER - A	B2+G+30	26631.97	2394.66	9102.71	38129.33
2	TOWER - B2	B2+G+29	21844.59	2198.77	6531.30	30574.65
3	TOWER - C1	B2+G+29	13992.99	1958.02	5455.02	21406.04
4	TOWER - C2 & C3	B2+G+29	27906.26	3920.23	11484.65	43311.13
5	TOWER - D3 & D6	B2+G+28	23714.05	4045.49	7440.80	35200.33
6	TOWER - D4 & D5	B2+G+28	23577.48	4089.30	7390.45	35057.23
7	COMMUNITY-01 (SOCIAL CLUB)	G+1	2885.01	0.00	55.17	2940.18
8	COMMUNITY-02 (SPORTS CLUB)	G+0	592.77	0.00	0.00	592.77
9	COMMUNITY-03 (SPA CLUB)	G+0	246.88	0.00	0.00	246.88
10	RETAIL COMMERCIAL	G+0	1142.00	0.00	0.00	1211.00
11	METER & VCB ROOM, NTA FIRE STAIRCASE, & GUARD ROOM	-	0.00	378.51	0.00	378.51
12	BASEMENT - 01	-	0.00	460.60	0.00	40489.90
13	BASEMENT - 02	-	0.00	672.07	0.00	40489.90
14	<b>GRAND TOTAL</b>		142533.99	20117.63		290027.85
15	<b>TOTAL BUILT-UP AREA IN SQMT</b>					<b>290027.85</b>
16	<b>TOTAL BUILT-UP AREA IN SQFT</b>					<b>3121859.75</b>



**M. A. Iqbal**

Professor

Department of Civil Engineering  
Indian Institute of Technology Roorkee  
Roorkee-247 667, Uttarakhand, India



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NIAJ/NORTH/B/080425/1901593

एएआई / आर. एच. स्पेस / एनआर / एलीएम / एनओसी / २०२५ / १०६५ / ३५२१ - २५

मालिक का नाम एवं पता M/S Arihant urban space pvt. ltd. दिनांक/DATE: 28-08-2025  
OWNERS Name & Address 601, 6Th floor , Sachdeva Tower , Community Center , Karkardooma , Delhi 110092. वैधता/ Valid Up to: 27-08-2033

## ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) No Objection Certificate for Height Clearance

1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है।

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2). इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	NIAJ/NORTH/B/080425/1901593
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Balraj Singh
स्थल का पता / Site Address*	Plot no GH-11, Sector 22 ( D) Yamuna Expressway , Greater Noida Uttar Pradesh, Yamuna Expressway, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	28 16 59.69N 77 32 54.96E, 28 16 55.04N 77 32 56.41E, 28 17 01.23N 77 33 00.26E, 28 16 56.64N 77 33 01.85E, 28 17 02.79N 77 33 05.57E, 28 16 58.24N 77 33 07.29E
स्थल की ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	194.75 M
अनुमत्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	334.75 M



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NIAJ/NORTH/B/08042 5/1901593

\* जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant \*

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है: -

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा क्रानूनी कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994",

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी। अर्थात्, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।

d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

च) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, के सैक्शन 9-A तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा एयरक्राफ्ट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन है।

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

छ) कोई भी रेडियो/ टीवी एन्टीना, लाइटनिंग अरेस्टर, सीढ़िया, मुम्टी, घानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्नक उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए।

f. No radio/TV Antenna, lightning arresters, staircase, Mumty, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NIAJ/NORTH/B/080425/ 1901593

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुएं का खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।

g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

झ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है, तथा उक्त प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से अधिकतम बारह साल की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा।

h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue & shall be extended for a maximum period of twelve years from the date of its issue.

ट) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटों का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ भ्रम उत्पन्न हो। विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी।

i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

ठ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरुद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा।

j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

ड) डे मार्किंग तथा सहायक विद्युत् आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट [www.dgca.nic.in](http://www.dgca.nic.in) पर उपलब्ध) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रंखला 'बी' पार्ट 1 सेक्शन-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: [www.dgca.nic.in](http://www.dgca.nic.in)

ढ) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/ दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

ण) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी का मूल्यांकन I.G.I Airport, NIAJEWAR, Safdarjung Airport, Sikandrabad विमानक्षेत्रों के संबंध में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रों और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रों, जो जी. एस. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग- I), अनुसूची- IV (भाग -2; केवल RCS हवाई अड्डे), अनुसूची- VI (हवाई अड्डों से दूर स्थित सीएनएस सुविधाएं) और अनुसूची- VII में सूचीबद्ध हैं, के लिए जारी किया गया है।

m. This NOC ID has been assessed with respect to the I.G.I Airport, NIAJEWAR, Safdarjung Airport, Sikandrabad Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule – III, Schedule – IV (Part-I), Schedule- IV (Part-2; RCS Airports Only), Schedule-VI (CNS Facilities located away from Airports) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR770(E)



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NIAJ/NORTH/B/080425/1901593

त) यदि स्थल रक्षा विभाग के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि जीएसआर 751 (ई) की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के लिये, जो जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची- IV (भाग -2; आरसीएस हवाई अड्डों के अलावा) के रूप में सूचीबद्ध बिना लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।

n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule – V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E)

थ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की किसी भी त्रुटि/व्याख्या की स्थिति में अंगरेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

द) स्थल की ऊँचाई और/या संरचना की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल में ही मान्य होगी।

p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in AMSL shall prevail.



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

NIAJ/NORTH/B/080425/1901593

क्षेत्र का नाम / Region Name:

उत्तर/NORTH

पदनामित अधिकारी/Designated Officer	
नाम/ पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign with date	<p>U. D. Baruah 28/08/25</p> <p>उत्पल दुत्ता बरुआ/UTPAL DUTTA BARUAH महाप्रबन्धक (एटीएम)/General Manager (ATM) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/Airports Authority of India क्षेत्रीय मुख्यालय (उ. क्षेत्र)/Regional Headquarters(NR) न.वा.प. सं. परिसर, आई.जी.आई. परिसर/NATS Complex, IGI Airport नई दिल्ली/New Delhi/India</p>
द्वारा तैयार Prepared by	<p>Bhushan Dabas 28/08/2025</p> <p>BHUSHAN DABAS MGR (ATM)</p>
द्वारा जांचा गया Verified by	<p>Yashwant Charan 28/08/2025</p> <p>Yashwant Charan ATM (ATM)</p>

ईमेल आईडी / EMAIL ID : noc\_nr@aai.aero

फोन/ Ph: 011-25653551

ANNEXURE/अनुलग्नक

## Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर में)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री)
I.G.I Airport	53205.49	125.38
NIAJEWAR	13026.09	334.65
Safdarjung Airport	47305.93	133.79
Sikandrabad	19571.69	230.48
NOCID	NIAJ/NORTH/B/080425/1901593	

क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566

Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566

